

# समाहरणालय, गोडडा।

(जिला भू-अर्जन शाखा)

E-Mail- goddadlao@gmail.com

प्रपत्र VII

## अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

संख्या- 27/2018-19 (पथ) 224 / भूअ0 गोडडा दिनांक - 14/2/19

चूँकि उपायुक्त, गोडडा को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना मोतिया-डुमरिया-सुगाबथान पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पथ निर्माण हेतु मौजा- सुगाबथान सीट नं0-01, थाना नं0- 125, अंचल- पोडैयाहाट, जिला- गोडडा में कुल- 0.350 एकड यानि ..... हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.350 एकड यानि ..... हेक्टेयर है और जो मौजा- सुगाबथान सीट नं0-01, थाना नं0- 125, अंचल- पोडैयाहाट, जिला- गोडडा में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम सं0	खाता सं0	सर्व भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड)	हिस्से की भूमि का रकवा (एकड)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
								उत्तर	दक्षिण	पूरव	पश्चिम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	20	229	निजी	बाडी II	0.01	0.00333	बासुलाल हेम्ब्रम पिता- स्व0जोधा हेम्ब्रम	पथ	227	पथ	230
2						0.00333	बाबु हेम्ब्रम पिता- स्व0 भगन हेम्ब्रम				
3						0.00167	नुनवा हेम्ब्रम पिता- स्व0 शुकर हेम्ब्रम				
4						0.00167	शुफल हेम्ब्रम पिता- स्व0 शुकर हेम्ब्रम				
5	23	181	निजी	बाडी II	0.02	0.003	सुरजा मुर्मू पिता- स्व0 लाल मुर्मू	179	पथ	182	पथ
6						0.003	बुलाय मुर्मू पिता- स्व0 लाल मुर्मू				
7						0.004	बुलाय मुर्मू पिता- स्व0 मंगल मुर्मू				
8						0.004	सबस्टीयन मुर्मू पिता- स्व0 बाजो मुर्मू				
9						0.002	बाबुजी मुर्मू पिता- स्व0 गुलु मुर्मू				
10						0.002	सिमोन मुर्मू पिता- स्व0 गुलु मुर्मू				
11						0.002	देवीलाल मुर्मू पिता- स्व0 गुलु मुर्मू				
12	33	193	निजी	बाडी II	0.32	0.32	शिवु राय पत्नी- स्व हेमलो देवी	पथ	194	पथ	पथ
कुल :-					0.35	0.350					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या शून्य है।

मौजा- सुगाबथान सीट नं0-01, थाना नं0- 125, अंचल- पोड़ैयाहाट, जिला- गोड़डा में कुल- 0.350 एकड यानि ..... हेक्टेयर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड़डा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार\* नीचे दिये गये है :-

क्रमांक	पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन का हकदारी का लाभ	हकदारी/उपबंध
1	एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन	प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को 50000.00 (पचास हजार) रू0 पुनर्व्यवस्थापन भत्ता दिया जायेगा।

उपरोक्त भूमि चिन्हित एवं मापित है, इस जमीन में इच्छुक/हितबद्ध सभी व्यक्ति, स्वयं अथवा प्रतिनिधि/अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 15-03-19 से 23-03-19 तक कार्यालय अवधि- 11:00 बजे पूर्वाह्न से 03:00 बजे अपराह्न तक श्री अनिल कुमार तिर्की, अपर समाहर्ता, गोड़डा/श्री पवन कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गोड़डा के समक्ष उपस्थित होकर अपना आवेदन दो प्रति में दे सकते है एवं प्राप्ति प्राप्त कर लेंगे।

अपने दावे का प्रकार और क्षतिपूर्ति के लिए किसी दावे एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित दावे या धारा- 12 के तहत जमीन के मेजरमेंट से संबंधित आपत्ति/दावा प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बंटवारे के आधार पर प्राप्त भूमि के दावा के संबंध में सक्षम न्यायालय का आदेश की प्रति देंगे।

  
उपायुक्त,  
गोड़डा।

ज्ञापाक 224 /भू0अ0 दिनांक :- 14/2/19।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, गोड़डा को जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला जन-सम्यर्क पदाधिकारी, गोड़डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा का प्रकाशन यथाशीघ्र दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों (स्थानीय संस्करण) में करने का कष्ट करेंगे। साथ ही प्रकाशित अधिघोषणा का पेपर कटिंग जिला भू-अर्जन कार्यालय, गोड़डा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी, गोड़डा को प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा को गोड़डा जिले के वेबसाइट में यथाशीघ्र प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

  
उपायुक्त,  
गोड़डा।



ज्ञापांक 224/भू0अ0 दिनांक - 14/2/19

- प्रतिलिपि :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन प्रमंडल, गोडडा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिघोषित दाग संख्या में अवस्थित वृक्षादि का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।
- प्रतिलिपि :- अपर समाहर्ता, गोडडा/अनुमंडल पदाधिकारी, गोडडा/भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोडडा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करने का कष्ट करेंगे।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, गोडडा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिघोषित दाग संख्या में अवस्थित भौतिक संरचना का मूल्यांकन कर मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कष्ट करेंगे।
- प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, पोडैयाहाट को निदेश है कि उक्त अधिघोषणा जारी किये जाने के पश्चात सहज दृश्य स्थलों पर चिपकाना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, गोडडा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस अधिघोषणा को यथाशीघ्र अपने कार्यालय में प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेंगे।

  
उपायुक्त,  
गोडडा।

ज्ञापांक 224/भू0अ0 दिनांक 14/2/19

- प्रतिलिपि - प्रमंडलीय आयुक्त, संधाल परगना प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- निदेशक, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि - सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
उपायुक्त,  
गोडडा।